The Chhattisgarh Civil Court (Amendment) Act, 2016

Act No. 28 of 2016

Amendment appended: 3 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016— श्रावण 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक 7725/डी. 213/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

(क्रमांक 28 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (क) में, अंक एवं शब्द "25,000 रुपये" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "5,00,000 रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) खण्ड (ख) में, अंक एवं शब्द "50,000 रुपये" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "10,00,000 रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक 7725/डी. 213/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 28 of 2016)

THE CHHATTISGARH CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Civil Courts (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 6.

2. In sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958),-

(i) In clause (a), for the word and figure "Rupees 25,000", the word and figure "Rupees 5,00,000" shall be substituted; and

(ii) In clause (b), for the word and figure "Rupees 50,000", the word and figure "Rupees 10,00,000" shall be substituted.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2024 — चैत्र 14, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्र. 3460/डी. 32/21—अ/प्रारू./छ.ग./24. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 27—03—2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 3 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

मूल अधिनियम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 के खण्ड (क), धारा 25 एवं 26 को छोड़कर,–

(1) शब्द "जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "प्रधान जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये;

(2) शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये;

(3) शब्द "व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(4) शब्द "व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(क) "उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग" से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीशों का संवर्ग, और इसमें सम्मिलित है प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल), जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) तथा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर);"

धारा 18 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द "जिला न्यायालय" के स्थान पर, शब्द "प्रधान जिला न्यायालय" प्रतिस्थापित किया जाये ।

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्र. 3460/डी. 32/21—अ/प्रारू./छ.ग./24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 03—04—2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2024)

THE CHHATTISGARH CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2024

An Act further to amend the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Civil Courts (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of the Principal Act.

2. In the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), (hereinafter referred to as the Principal Act), except clause (a) of Section 2, Section 25 and 26,-

(1) for the words "District Judge", wherever they occur, the words "Principal District Judge" shall be substituted;

(2) for the words "Additional District Judge", wherever they occur, the words "District Judge" shall be substituted;

(3) for the words "Civil Judge Class-I", wherever they occur, the words "Civil Judge Senior Division" shall be substituted; and

(4) for the words "Civil Judge Class-II", wherever they occur, the words "Civil Judge, Junior Division" shall be substituted.

3. For clause (a) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 2.**

"(a)"cadre of higher judicial service" means the cadre of District Judges and shall include the Principal District Judge, District Judge (Super Time Scale), District Judge (Selection Grade) and District Judge (Entry Level);"

Amendment of Section 18.

4. In Section 18 of the Principal Act, for the words "District Court", the words "Principal District Court" shall be substituted.

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.